अवध स्थापित सम्पदा अधिनियम, 1917[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1917]

भारत सरकार द्वारा अनुकूलित एवं संशोधित

(भारतीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1937

विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अनुकूलित एवं संशोधित।

[30 मई, 1917 को लेफ्टिनेन्ट जनरल की और 23 जुलाई, 1917 को गवर्नर–जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई और 11 अगस्त, 1917 को भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 81 के अंतर्गत [2]प्रकाशित किया गया।]

प्रस्तावना

चूँकि यह समीचीन है कि अवध के ताल्लुकदारों और कुछ अन्य व्यक्तियों की सम्पदाओं के संरक्षण हेतु बेहतर प्रावधान करने हेतु कानून को समेकित एवं संशोधित किया जाय।

एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार

1–(1) इस अधिनियम को अवध स्थापित सम्पदा अधिनियम, 1917 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार केवल एतस्मिन पश्चात निर्दिष्ट सम्पदाओं या सम्पदा के भागों तक होगा।

व्याख्या खंड

1869 का अधिनियम

1910 का उ0प्र0 अधिनियम III

2–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अधिनियम में आने वाले सभी शब्द, जो अवध सम्पदा अधिनियम, 1869, जैसा कि 1885 के अधिनियम और अवध सम्पदा (संशोधन) अधिनियम, 1910 द्वारा संशोधित किया गया है, क्रमशः उस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अर्थों के माने जाएँगे।

1972 का अधिनियम IX

"स्थापित सम्पदा" का तात्पर्य है, तत्समय धारा 10 के तहत की गई घोषणा के आधार पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अचल सम्पत्ति।

''अनुबंध करने में सक्षम'' का अर्थ है भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अर्थ में अनुबंध करने में सक्षम।

संपत्ति के निपटान की अनुमति के लिए आवेदन।

3–इसके विपरीत किसी भी अधिनियम के होते हुए भी, यह विधिपूर्ण होगा कि

(क) कोई तालुकदार या अनुदानग्राही जिसका नाम अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा या धारा 9 के तहत तैयार की गई सूचियों में से दूसरी, तीसरी या पाँचवीं सूची में डाला गया हो, या ऐसे तालुकदार या अनुदानग्राही का उत्तराधिकारी या वसीयतदार, या

1869 का अधिनियम I

(ख) कोई व्यक्ति जिसका नाम उक्त अधिनियम की धारा 31ए, उपधारा (3) के तहत प्रकाशित सूची में डाला गया हो, या ऐसे व्यक्ति का उत्तराधिकारी या वसीयतदार, या

(ग) खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति का ऐसा हस्तान्तरिती या वसीयतदार, जैसा कि अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 14 में निर्दिष्ट है, या

(घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसे हस्तान्तरिती या वसीयतदार का उत्तराधिकारी या वसीयतदार,

---

1. उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए गज देखें। 1916, भाग VII, पृ. 96; आर. एस. कॉम. के लिए, देखें वही। 1917, भाग VII, पृ. 21; और चर्चा के लिए, देखें एल. सी. प्रो., वही, 1916, भाग VII, पृ. 427, 708, और वही, 1917, पृ. 272 और 559।

2. देखें राजपत्र 1917, भाग VII, पृ. 889।

जो किसी संपदा में स्थायी, विरासतीय और हस्तांतरणीय अधिकार का हकदार है, और उसके कब्जे में है, और अनुबंध करने में सक्षम है, यह घोषित करने की अनुमति के लिए [1][राज्य सरकार] को लिखित रूप से आवेदन कर सके कि ऐसी संपदा या उसका कोई भाग भविष्य में इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन धारित होगा।

आवेदन की अस्वीकृति

4—[1][राज्य सरकार] ऐसे आवेदन को या तो संक्षेपतः या ऐसी जाँच के बाद, जैसा वह उचित समझे, [2][xxx] अस्वीकार कर सकती है।

सूचना जारी करना

5—यदि ऐसा आवेदन धारा 4 के अधीन अस्वीकृत नहीं किया जाता है, तो [1][राज्य सरकार] [3][आधिकारिक राजपत्र] में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें आवेदन किए जाने के तथ्य और उसके तात्पर्य का उल्लेख होगा, तथा आवेदक या उसकी अचल संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय दावे रखने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अंग्रेजी में सूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर लिखित रूप में इसकी सूचना दें, तथा ऐसी अवधि के भीतर लिखित रूप में कारण भी इंगीत करे कि आवेदक द्वारा मांगी गई अनुमति क्यों न दी जाए, और जहां ऐसा करना व्यावहरिक हो, वहां ऐसी सूचना की एक प्रति उन सभी व्यक्तियों को दी जाएगी, जो ज्ञात रूप से अथवा आवेदन या प्राप्त अन्य सूचना से आवेदन का विरोध करने में रुचि रखते प्रतीत होते हैं।

अनुमति प्रदान करना या अस्वीकार करना

6—राज्य सरकार, आवेदन और उसके द्वारा या उसके आदेशों के तहत की गई किसी जाँच के परिणाम, उसके द्वारा माँगे गए किसी अतिरिक्त विवरण या सूचना, तथा आवेदन के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, अनुमति दे सकती है या देने से मना कर सकती है, या केवल उस संपत्ति के किसी भाग के संबंध में अनुमति दे सकती है जिससे आवेदन संबंधित है;

परन्तु जहाँ आवेदक की अचल संपत्ति का कोई भाग किसी भार या शुल्क के अधीन है, या किसी विद्यमान ऋण, माँग या दावे के लिए उत्तरदायी हो सकता है, वहाँ [1][राज्य सरकार] ऐसी अनुमति तब तक नहीं देगी जब तक कि आवेदक की अचल संपत्ति पर भार या शुल्क के हकदार सभी व्यक्तियों, या अचल सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय दावे रखने वाले व्यक्तियों की सहमति प्राप्त न हो जाए, या ऐसे व्यक्तियों के भार, शुल्क या दावे, जो ऐसी अनुमति दिए जाने पर आपत्ति करते हैं, का शमन न कर दिया जाय या उनके शमन के लिए राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक समझी जाने वाली व्यवस्थाएँ न कर दी जाएँ, या राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्तियों पर ऐसी अनुमति दिए जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बसे हुए संपदा में वृद्धि करने की अनुमति के लिए आवेदन

7—(1) किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो तत्समय स्थापित संपदा का हकदार हो, और उस पर कब्जा रखता हो तथा संविदा करने में सक्षम हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह स्थापित संपदा में कोई अन्य अचल संपत्ति जोड़ने की अनुमति के लिए [1][राज्य सरकार] को आवेदन करे, जिसके संबंध में वह धारा 3 के अधीन आवेदन कर सकता हो।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार धारा 4 या धारा 5 और 6 के अनुसार कार्यवाही करेगी।

घोषणा को रद्द करने की अनुमति के लिए आवेदन

8—(1) धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो तत्समय स्थापित संपदा का हकदार हो और उस पर कब्जा रखता हो, जो पुरुष हो तथा संविदा करने में सक्षम हो ऐसी किसी घोषणा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने की

1. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
2. ए.ओ. 1937 द्वारा (अपने विवेकानुसार) शब्दों का लोप किया गया।
3. पूर्वोक्त द्वारा (राजपत्र) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनुमति के लिए [1][राज्य सरकार] को आवेदन करना विधिपूर्ण होगा कि संपत्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारित रहेगी।

(2) [1][राज्य सरकार] आवेदन एवम् उसके द्वारा या उसके आदेशों के तहत की गई किसी जाँच के परिणाम और उसके द्वारा माँगी गई किसी अतिरिक्त जानकारी या विवरण पर विचार करने के पश्चात, [2][***] या तो अनुमति दे सकती है या देने से मना कर सकती है, या केवल उस संपत्ति के एक भाग के संबंध में अनुमति दे सकती है जिससे आवेदन संबंधित है।

अनुमति का प्रारूप, विषय–वस्तु और प्रकाशन

9—(1) धारा 6, 7, या 8 के अधीन दी गई अनुमति लिखित रूप में होगी, [1][राज्य सरकार] के सचिवों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होगी, और उसमें उस अचल संपत्ति का विवरण होगा जिसके संबंध में अनुमति दी गई है, जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो।

(2) ऐसी प्रत्येक अनुमति [3][आधिकारिक राजपत्र] में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में प्रकाशित की जाएगी, और अंग्रेजी में प्रकाशन की तिथि से तीन महीने की समाप्ति तक, या आवेदक की मृत्यु तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

घोषणा का निष्पादन

10—आवेदक, अपने द्वारा हस्ताक्षरित और दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित लिखित दस्तावेज द्वारा, तथा ऐसी अनुमति के अंग्रेजी में प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर पंजीकृत (किन्तु वसीयत द्वारा नहीं) यह घोषणा कर सकता है कि संपत्ति का संपूर्ण भाग या उसका कोई भाग, जिसके संबंध में धारा 6, 7 या 8 के अधीन अनुमति दी गई है, भविष्य में, यथास्थिति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उनसे मुक्त धारित किया जाएगा।

ऐसी घोषणा उसके पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगी।

प्रक्रिया

11—धारा 10 के अधीन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गई प्रत्येक घोषणा के साथ धारा 9 में उल्लिखित लेख संलग्न होगा और पंजीकरण अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि पंजीकरण हेतु प्रस्तुत घोषणा में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति उक्त धारा में प्रदत्त अनुमति के अन्तर्गत समाहित की गई है तथा ऐसी अनुमति अभी भी प्रभावी है।

कुछ घोषणाएँ अपरिवर्तनीय करने की शक्ति

12—कोई व्यक्ति जो यह घोषणा निष्पादित करता है कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन धारित की जाएगी, ऐसी घोषणा में या लिखित रूप में, पूर्वोक्त रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित, और पंजीकृत किसी अनुवर्ती दस्तावेज द्वारा, और ऐसे व्यक्ति का कोई भी हित उत्तराधिकारी, जो बसे हुए संपदा पर कब्जा रखता है और अनुबंध करने में सक्षम है, पूर्वोक्त रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित, और पंजीकृत दस्तावेज द्वारा यह प्रावधान कर सकता है कि ऐसी कोई भी घोषणा, बसे हुए संपदा के संपूर्ण या उसके किसी निर्दिष्ट भाग के संबंध में अपरिवर्तनीय होगी।

पंजीकरण अधिकारी और कलेक्टर के कर्तव्य

13—(1) धारा 11 के अधीन किसी घोषणा या धारा 12 में उल्लिखित किसी अनुवर्ती दस्तावेज के पंजीकरण पर, पंजीकरण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक जिले के कलेक्टर को, जिसमें संपत्ति का कोई भाग स्थित है, उसकी एक उचित रूप से प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए।

(2) ऐसी प्रतिलिपि प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसे अभिलेख या रजिस्टर में एक नोट अंकित कराएगा जैसा [4][राज्य सरकार] निर्देशित करेगी और घोषणा की एक प्रति अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में राजपत्र में प्रकाशित भी कराएगी।

---

1. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
2. शब्द ''अपने विवेकानुसार'' को ए0ओ0 1937 द्वारा लोप किया गया।
3. राजपत्र के स्थान पर उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।
4. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

राज्य सरकार को स्थापित सम्पदा को अधिनियम के प्रवर्तन से बाहर करने का अधिकार

14—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय में, किसी स्थापित संपत्ति का तत्समय धारक उस सनद की शर्तों के उल्लंघन का दोषी है जिसके अधीन ऐसी संपत्ति धारित है या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, राज्य सरकार के लिए [1][आधिकारिक राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा यह घोषित करना वैध होगा कि वह स्थापित संपत्ति, जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार है और जिस पर उसका कब्जा है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नहीं रहेगी।

ऐसी घोषणा उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उत्तराधिकारियों के प्रतिकूल स्थापित संपत्ति के साथ लेन–देन निषिद्ध है

15—इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी स्थापित सम्पदा के हकदार किसी भी व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को, या उसके लाभों को, उसके जीवनकाल के दौरान से अधिक या बड़े हित अथवा समय के लिए अन्तरित करने, निपटाने, अन्य संक्रामित करने, हस्तांतरित करने, भारित करने, भारित करने या पट्टे पर देने की शक्ति नहीं होगी, न ही किसी स्थापित सम्पदा को, या उसके किसी भाग को, या उसके लाभों को, उसके जीवनकाल के दौरान से अधिक या बड़े हित अथवा समय के लिए ऐसे व्यक्ति में निहित माना जाएगा या रहा होगा।

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए स्थापित संपत्ति का हस्तांतरण

16—(1) कोई व्यक्ति जो वर्तमान में स्थापित सम्पदा का हकदार है और उसके कब्जे में है, उसके पास ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को हस्तांतरित, निपटाने, अन्य संक्रामित करने, हस्तांतरित करने, भारित करने, भारित करने या पट्टे पर देने की शक्ति होगी—

(क) राज्य सरकार, की पूर्व स्वीकृति से किसी धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, या

(ख) किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार के पक्ष में या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई भी स्वीकृति ऐसी शर्तें लगा सकती है जिन्हें राज्य सरकार, हस्तांतरण की सीमा या प्रकृति, या उस लिखत (यदि कोई हो) की शर्तों, जिसके द्वारा हस्तांतरण किया जाना है, या किसी अन्य मामले के संबंध में समीचीन समझे।

कृषि पट्टे या बसे हुए सम्पदाएँ

17—किसी स्थापित सम्पदा का तत्समय हकदार और उस पर काबिज व्यक्ति उसे या उसके किसी भाग को कृषि प्रयोजन के लिए, बिना जुर्माने या प्रीमियम के उचित रूप से प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वोत्तम देय किराए पर पट्टे पर दे सकता है,

(क) वर्ष–दर–वर्ष या सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, या

(ख) कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से, सात वर्ष से अधिक किन्तु चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के लिए;

बशर्ते कि इस धारा के अधीन प्रदान किया गया पट्टा

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1901

(1) आगरा काश्तकारी अधिनियम, [2]1901 या अवध किराया अधिनियम, [3]1886, जैसा प्रयुक्त हो, के किसी भी उपबंध के अधीन होगा, और

अधिनियम संख्या 22, 1886

(2) जब तक कि यह अवध के बाहर स्थित भूमि के संबंध में न हो, उस बंदोबस्त की अवधि के दौरान, जिसके दौरान इसे प्रदान किया गया है, बंदोबस्त की समाप्ति पर, इस बात के बावजूद कि इसे ऐसे बंदोबस्त से अधिक अवधि के लिए प्रदान किया जाना अभिप्रेत है, निर्धारित करेगा।

स्थापित सम्पदा के अन्य पट्टे

18—तत्समय स्थापित सम्पदा का हकदार और उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को किसी अन्य उद्देश्य के लिए पट्टे पर दे सकता है—

(क) बिना जुर्माने या प्रीमियम के उचित रूप से प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वोत्तम किराए पर, वर्ष दर वर्ष या सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, या

---

1. 'राजपत्र' के स्थान पर उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।
2. निरस्त। अब यू. पी. काश्तकारी अधिनियम, 1939 (यू. पी. अधिनियम XVII, 1939) देखें।

(ख) धारा 24 (2) (छ) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार कलेक्टर की पूर्व मंजूरी से सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए।

आयुक्त को अपील

19—कलेक्टर द्वारा धारा 17 या 18 के अधीन मंजूरी देने से इनकार करने या मंजूरी देने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकता है, और आयुक्त उसके बाद या तो कलेक्टर के आदेश को बनाए रख सकता है या कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे पारित करने के लिए कलेक्टर सक्षम था।

किराए की प्रत्याशा

20—जहाँ कोई भूमि धारा 16, 17, या 18 के प्रावधानों के तहत पट्टे पर दी गई है, वहाँ किराए की किसी भी किस्त का भुगतान देय होने से पहले भुगतान किया जाना, भुगतान किए गए व्यक्ति के किसी भी उत्तराधिकारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कुछ मामलों में वर्जित है

21—(1) कोई भी न्यायालय धारा 10 के तहत की गई किसी घोषणा की वैधता या औचित्य पर प्रश्न नहीं उठाएगा—

(क) सिवाय इसके कि घोषणा का तात्पर्य ऐसी संपत्ति को प्रभावित करना हो जो सरकार या राज्य द्वारा दी गई लिखित अनुमति में शामिल नहीं है।

(ख) (जहाँ धारा 6 या 7 के अधीन अनुमति प्रदान की गई है) सिवाय इसके कि जिस व्यक्ति द्वारा घोषणा की गई है, वह उसमें सम्मिलित स्थावर संपत्ति में स्थायी, उत्तराधिकार योग्य और हस्तांतरणीय अधिकार का हकदार और उस पर काबिज नहीं पाया जाता है, या ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं था, या

(ग) (जहाँ धारा 8 के अधीन अनुमति प्रदान की गई है) जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस धारा के अधीन आवेदन की तिथि पर स्थापित संपत्ति का हकदार और उस पर काबिज नहीं पाया जाता है, या जिस घोषणा को वापस लेने की मांग की गई है वह अपरिवर्तनीय थी।

(2) उप–धारा (1) में जैसा प्रावधान है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय निम्नलिखित मामलों में या उन पर अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगाः—

(क) धारा 3, 7 या 8 के अधीन किसी आवेदन की या उस पर की गई किसी कार्यवाही या पारित आदेश की वैधता, औचित्य या नियमितता;

(ख) धारा 5 के अधीन जारी किसी सूचना की वैधता, औचित्य, नियमितता या पर्याप्तता;

(ग) धारा 4 के अंतर्गत किसी आवेदन को अस्वीकार करना या धारा 6, 7 या 8 के अंतर्गत अनुमति प्रदान करना या अस्वीकार करना;

(घ) धारा 9 के अंतर्गत दी गई किसी अनुमति या धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत की गई किसी कार्यवाही की वैधता, औचित्य या नियमितता;

(ङ) धारा 14 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के कारणों की पर्याप्तता या अन्यथा;

(च) [1][राज्य सरकार] या कलेक्टर या आयुक्त द्वारा धारा 16, 17, 18 या 19 के अन्तर्गत उसे प्रदान की गई किसी मंजूरी को प्रदान करने, अस्वीकार करने, संशोधित करने या रद्द करने के किसी विवेकाधिकार का प्रयोग;

(छ) धारा 16, 17, 18 या 19 के अंतर्गत किसी ऐसे निर्णय का औचित्य या वैधता कि कोई हस्तांतरण सार्वजनिक उद्देश्य या धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति का है या नहीं है, या कोई पट्टा कृषि उद्देश्य के लिए है या नहीं है।

1. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

वसीयत के तहत स्थायी संपत्तियों के हस्तांतरण

22—(1) किसी भी अनुबंध या विपरीत निपटान के प्रावधानों के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति जो तत्समय स्थापित संपत्ति का हकदार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, जो सामान्य कानून जिसके अधीन उसके धर्म और जनजाति के व्यक्ति हैं, यदि वह निर्वसीयती सम्पदा के उत्तराधिकारी होते हैं, तो वह वंश का एक नया स्टॉक निर्मित करेगा। जब तक कि ऐसा व्यक्ति विधवा या माँ के रूप में उत्तराधिकारी न हो, अवध सम्पदा अधिनियम, 1869 की धारा 22 के प्रयोजनों के लिए वंश का एक नया स्टॉक निर्मित करेगा और ऐसे व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु होने पर स्थापित सम्पदा उस धारा के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित हो जाएगी।

अधिनियम सं0 1, 1869

(2) किसी भी अनुबंध या निपटान के प्रावधानों के विपरीत होने के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति जो वर्तमान में स्थापित सम्पदा का हकदार है और जो उप–धारा (1) के अनुसार वंश का एक नया स्टॉक बनाता है, अवध सम्पदा अधिनियम, 1869 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उसे वसीयत करने के लिए सक्षम होगा;

अधिनियम सं0 1, 1869

परन्तु ऐसा व्यक्ति उसे अविभाज्य सम्पदा के रूप में एक व्यक्ति द्वारा धारित किये जाने के सिवा सम्पदा के मात्र लाभों को किसी भी माँग, शुल्क या भार जो भी हो, की वसीयत करने में अथवा किसी अजनबी को ऐसी वसीयत करने में जो धारा 22 अवध सम्पदा अधिनियम, 1869 में निर्दिष्ट किसी भी वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तराधिकार से वंचित कर दे, सक्षम नहीं होगा।

अधिनियम संख्या 1, 1869

बचत खंड

23—इस अधिनियम की कोई भी बात किसी स्थापित संपत्ति के तत्समय धारक को, पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित करने या अपनी विधवा को पुत्र गोद लेने का अधिकार देने, या अवध संपदा अधिनियम, 1869 के भाग 8 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के भरण–पोषण के अधिकार को प्रभावित करने, या [1]**[**अवध किराया अधिनियम, 1886**]** के प्रावधानों या [1]**[**राज्य सरकार**]** के अधिकार या किसी सार्वजनिक राजस्व या उस रूप में वसूली योग्य या राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली योग्य को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अधिनियम 1, 1869

अधिनियम 1, 1990

नियम बनाने की भाक्ति

24—(1) [1]**[**राज्य सरकार**]** पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए [2]**[**नियम**]** बना सकेगी, बशर्ते कि ऐसे नियम अवध संपदा अधिनियम, 1869 के उपबंधों से असंगत न हों।

अधिनियम 1, 1869

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए [3]**[**नियम**]** बना सकेगी –

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) ऐसे आवेदन का प्रारूप और विषय–वस्तु तथा वे दस्तावेज, यदि कोई हों, जिनके साथ ऐसा आवेदन संलग्न किया जाएगा;

---

1. निरस्त। अब देखिए उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939 (उत्तर प्रदेश अधिनियम XVII, 1939)
2. इस उपधारा के अधीन नियमों के लिए। देखें संख्या 25/1–256 बी. दिनांक 3 जनवरी, 1901, और संख्या 2828/1–816, दिनांक 30 दिसंबर, 1913 (यू.पी. अधिनियम 2, 1900 की धारा 20 के अंतर्गत जारी लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत लागू रखा गया) और संख्या 6856/1–39, दिनांक 17 सितंबर, 1923, गजट, 1901, भाग ए, पृष्ठ 4 में प्रकाशित। पइपक, 1914, भाग I, पृष्ठ 2, और उपरोक्त, 1923, भाग 1, पृष्ठ 1350, क्रमशः।
3. इसके अंतर्गत नियमों के लिए उपधारा 18061।–443, दिनांक 7 अप्रैल, 1925, पृ. 1979/1–ए–749, दिनांक 17 अप्रैल, 1925 और संख्या 4132/आईए–7491913, दिनांक 21 अक्टूबर, 1926, गज., 1925, भाग ए, पृष्ठ 442, उपरोक्त, 1925, भाग 1, पृष्ठ 517, और उपरोक्त, 1926, भाग 1, पृष्ठ 990, संख्या 1379/1224–41, दिनांक 15 सितंबर, 1943, गज. 1943, पीएल 1ए पृष्ठ 247, संख्या यू–0354 आरध1239–45, दिनांक 31 दिसंबर, 1945, गज. 1946, भाग आईए, पृष्ठ 2 में प्रकाशित।

(ग) धारा 5 के अधीन नोटिस जारी करना और उसकी तामील;

(घ) धारा 10 के अधीन की जाने वाली किसी घोषणा का प्रारूप;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) इस अधिनियम के अधीन आयोजित कार्यवाहियों में या उनके संबंध में उपगत किसी व्यय का भुगतान या वसूली;

(छ) वह अवधि या अवधियाँ जिनके लिए, और वे प्रतिबंध जिनके अधीन, कृषि से भिन्न किसी उद्देश्य के लिए और सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे, धारा 18 (ख) के अधीन कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे।

निरसन

25—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों को इसके चतुर्थ स्तंभ में विनिर्दिष्ट सीमा तक निरसित किया जाता है।

———

अनुसूची

निरस्त अधिनियम

(धारा 25 देखें)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षक	निरसन की अवधि
1900	2	अवध बसे हुए सम्पदा अधिनियम, 1900	वह भाग जो पहले ही निरसित न किया गया हो।
1910	2	अवध बसे हुए सम्पदा (संशोधन) अधिनियम, 1910	संपूर्ण।

———

नोट :— हिन्दी अनुवादित प्रति।